

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम कपासन

~~जगदीश चन्द्र~~ बनाम ~~श्री. श्री. लाल~~

किस्म मुकदमा प्रा.प. नं० 53 सन् 2025

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
16/9/2025	राजरच प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली वास्ते तलवी व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक <u>14.10.2025</u> को पेश हो।	
14/10/2025	<p>श्रील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ 01 बाबूद सूचना के धारक की। बार-बार आवाज लगाई गई। धारक नहीं। कुछ तक्रार प्रार्थी की पत्नी है। अतः प्रार्थी के खिलाफ 2, 3 तबिये धारक रोज बहम हेतु तिवेहन किया जा लीकर धारक पार बहम चुकी गई। अंतर्गत के विवकाह हम मध्य है कि मालिक की कतिबायात अशुभ खरतेहारी की अशुभियत है। प्रिने बिना विवाहित विधान के अतः प्रार्थीगण अशुभ-शुभ करने पर अज्ञात है। अतः अशुभियत निवेधान के पाननह अर्पे पाने का विवेहन किया। धारक अशुभियत पत्नी का अशुभियत किया कि गई लहम पर मनन किया। प्रार्थीका पूज आशिक रूप से लीगाए किया पार मह निर्णय किया जाता है कि मूल पार 10/1/2025 के निर्णय तक मीमा बायी का खेडा पर लउचन अशुभ की आर 266, 267, 267, 268 मूल प्रिना 4 मूल खरता 1.53 हेक्टर मेर अशुभियत देवारी की मना किया मनाये खे। पत्नी केवल मूल मार मार मन्त से का ही। अतः प्रार्थीगण अशुभियत</p>	<p>सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ़</p>

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ़